संख्या–129 /XVI/07/7(53)/07

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी,2008

विषयः–पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानों के घेरबाड़ की नई योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1001/XVI/07/7(15)/07,दिनांक–04 अक्टूबर, 2007, संख्या–1067/XVI/07/7(52)/07, दिनांक–09 अक्टूबर, 2007 तथा संख्या–893 /XVI /07/7(53)/07, दिनांक–29 अक्टूबर, 2007 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत विभागीय योजनान्तर्गत सम्मिलित नई योजना "पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानों के घेरबाड़ की योजना" के कियान्वयन हेतु कमशः विभागीय अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत प्राविधानित रू0–1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़ मात्र), अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत प्राविधानित रू0–92.00 लाख (रू0 बयानब्बे लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत प्राविधानित रू0–36.80 लाख (रू0 छत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी है।

यह भी ज्ञातव्य है, कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या–812/XVI/07/7(56)/07, दिनांक–09 अगस्त, 2007 के माध्यम से उक्त योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यानपतियों/काश्तकारों के उद्यानों की जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा हेतु एंगिल आयरन सहित काटेदार तार से घेरबाड़ कार्य हेतु कुल अनुमानित लागत रू0–18385.00 प्रति हैक्टेयर के आधार पर प्रति हैक्टेयर 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू0–9200.00 (रू0 नौ हजार दो सौ मात्र) की धनराशि काश्तकारों को प्रदान किये जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा यह अवगत कराया गया, कि उद्यानों की घेरबाड़ कार्य हेतु अनुमानित लागत अत्यधिक न्यून होने तथा इसकी तुलना में वर्तमान में घेरबाड कार्य की लागत अत्यधिक आने के कारण काश्तकारों द्वारा अनुदान के इस दर पर योजना को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग,देहरादून से एक हैक्टेयर (100 मीटरX100 मीटर) क्षेत्र में तीन हौरिजैन्टल तार वाली बारबेड वायर फैन्सिंग कराये जाने हेतु दर विश्लेषण प्राप्त किया गया।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार उक्त योजनान्तर्गत उद्यानपतियों/काश्तकारों के उद्यानों में प्रति हैक्टेयर तीन हौरिजैन्टल तार वाली बारबेड वायर फैन्सिंग कराये जाने के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये दर विश्लेषण व उस पर टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत संलग्न दर विश्लेषण के आधार पर प्रति हैक्टेयर घेरबाड़ की दर रू0–66,600.00 (रू0 छियासठ हजार छः सौ मात्र) निर्धारित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– सन्दर्भित वित्तीय स्वीकृति शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या–812/XVI/07/7(56)/07, दिनांक–09 अगस्त, 2007 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, तथा अन्य शर्ते/दिशा निर्देश यथावत् रहेंगे।

..2/–

2– काश्तकारों को योजनान्तर्गत देय 50 प्रतिशत अनुदान की राशि दो समान किस्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किस्त घेरबाड़ निर्माण सामग्री सम्बन्धित उद्यान पर पहुँचने के उपरान्त तथा द्वितीय किस्त घेरबाड़ कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के उद्यान निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी,उद्यान अथवा उनसे उच्चतर अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त प्रदान किया जायेगा।

3– उद्यान विभाग के स्तर पर उक्तानुसार सत्यापन से पूर्व एवं सम्बन्धित किस्तों का भुगतान जनपद स्तरीय किसी राजकीय अभियंत्रण विभाग के सक्षम अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में सामग्री/कार्य का अंकन/पैमाइस कर अंकन सुनिश्चित कर एवं विभागीय स्तर पर सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। सम्बन्धित माप पुस्तिकाऐं सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

4– घेरबाड़ हेतु चयनित उद्यानों/उद्यान समूहों की काश्तकार/ग्रामवार/क्षेत्रफलवार सूची कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तैयार कर जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी,तथा कार्य पूर्ण होने पर भी सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

5– निजी उद्यानों के घेरबाड़ की इस योजना में लिए जाने वाले उद्यानों में उद्यानपति/उद्यानवार पौध/वृक्षों की प्रजातिवार सूची,उनके उत्पादन के वर्तमान आंकड़ों तथा घेरबाड़ उपरान्त उत्पादन के आंकड़ों के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान पहुँचाने वाले पशुओं का प्रकार व उनके प्रकोप का प्रभाव सम्बन्धी आंकडे भी एकत्र किये जाय। साथ ही इस योजना के फलस्वरूप होने वाले प्रभावों के मापन हेतु Performance Indicators भी तैयार कर तदानुसार नियमित अनुश्रवण भी किया जाय, ताकि अगले वर्षो में योजना को चलाने हेतु योजना की उपादेयता/उपयोगिता स्पष्ट हो सकें और परिमाणात्मक प्रभाव आंकलन/अनुश्रवण किया जा सकें।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 384(P)/XXVII-4/2007,दिनांक– 24 जनवरी,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया तद्नुसार उक्त योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या– 129 /XVI/07/7(53)/07 तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।